

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

शारदा देवी

मुकाम नीमकाथाना

बनाम

भूमिधारी

प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि.

मु०नं० 282 सन 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रारिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने वहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बंधावाला भोपालपुरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 1176/885, 1182/680, 1186/886, 887, 888 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0497 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रा० पत्र 283/2024

निर्णय दिनांक 20.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बंधावाला भोपालपुरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 1176/885, 1182/680, 1186/886, 887, 888 कुल किता 05 कुल रकबा 3.0497 हैक्ट0 की प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)

